

ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि०



भवन निर्माण से सम्बंधित ठेकेदार हेतु
- पंजीकरण नियमावली -

पंजीकरण का उद्देश्य एवं विभिन्न प्रक्रिया इत्यादि

1. इस नियमावली का उद्देश्य मान्यता प्राप्त ऐसे ठेकेदारों की सूची तैयार करना एवं इनका रख-रखाव करना है, जो विभिन्न प्रकार एवं परिमाण के कार्यों को उचित समय पर निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार करने में सक्षम हो। इससे इन क्षेत्रों में सम्बन्धित पक्षकार यानि ठेकेदार को मान्यता प्राप्त होती है।

2. सूचीबद्ध ठेकेदारों को अनुमन्य सुविधाएं -

2.1. सूचीबद्ध ठेकेदार ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० की 'मेलिंग लिस्ट' में रखे जाएंगे तथा "ऑनलाइन" ई-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के उपरान्त ठेकेदारों को यू०पी०सी०एल०डी०एफ० की वेबसाइट www.rlccsl.co.in एवं ई-पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है, जो उस श्रेणी में कार्य करने के लिए पंजीकृत है।

2.2. निविदा प्रपत्र ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० की वेबसाइट www.rlccsl.co.in पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र की प्रति ऐसे असूचीबद्ध ठेकेदारों, जो उसी ग्रुप के कार्य हेतु उसी श्रेणी जिसके लिए ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जा रही हों, में लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेलवे, विकास प्राधिकरणों अथवा नगर निगमों आदि में पंजीकृत हो, परन्तु वे इस सुविधा का लाभ अनिवार्य रूप से एवं अधिकार स्वरूप नहीं उठा सकेंगे। इस सम्बन्ध में निविदा विशेष हेतु जारी नोटिस के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। ऐसे मामलों में निविदा प्रपत्र निर्गत करने या ऐसी प्रार्थना अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० के पास सुरक्षित रहेगा और प्रार्थना अस्वीकार करने के सम्बन्ध में सूचीबद्ध/असूचीबद्ध ठेकेदार स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता।

3. प्रक्रिया

3.1. सूचीबद्धता के इच्छुक ठेकेदार ऑनलाईन ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप पर अपलोड कर सकते हैं, विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड करने के उपरान्त भरते हुए आवेदन-पत्र वांछित शुल्क सहित ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० के ई-पोर्टल पर करना होगा।

3.2. पंजीयनकर्ता द्वारा अपलोड किये गये प्रपत्रों के परीक्षणोपरान्त वेबसाइट पर सूचना अपलोड की जायेगी एवं मूल प्रतियां, FDR इत्यादि विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा तथा 30 दिन के उपरान्त PAN एवं GST नं० द्वारा लागिन कर पंजीयन की स्थिति से अवगत हो सकता है।

3.3. सूचीबद्ध ठेकेदारों द्वारा जमा की गयी स्थायी धरोहर धनराशि का किसी भी परिस्थिति में निविदाओं पर छूट अनुमन्य नहीं होगी।

3.4. पंजीकरण हेतु सक्षम अधिकारी

श्रेणी ए, बी, सी, डी, ई - अधिकृत नोडल अधिकारी,

उन अधिकारियों की सूची जो ठेकेदारों के पंजीकरण के अभिलेखों का रख-रखाव करेंगे।

| क्र.सं. | ठेकेदारों की श्रेणी | अधिकारी का नाम |
|---------|-------------------------|---------------------|
| 1. | श्रेणी-ए, बी, सी, डी, ई | अधिकृत नोडल अधिकारी |

4. संक्षिप्त टिप्पणी :-

4.1. चयनित पंजीकृत ठेकेदारों की सूची एवं रजिस्ट्रेशन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट के ई-पोर्टल पर देखा जा सकता है।

5. सीमाएँ

- 5.1. उल्लिखित गुणों एवं वर्गों के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी प्रकार के एवं किसी भी परिमाण के कार्य, जो एक सूचीबद्ध ठेकेदार को सौंपे जा सकें, हेतु सूचीबद्धता की यह सुविधा कराई जा रही है। यह सूचीबद्ध ठेकेदार के दूसरे वर्ग के कार्यों के लिए निविदा भरने में बाधक न होगा। बशर्ते वह कार्य उस वर्ग की लागत सीमा के अन्तर्गत हो, जिस हेतु वह अधिकृत है। परन्तु उसकी निविदा की स्वीकृत से पूर्व उस कार्य से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र, जिसके लिए वह सूचीबद्ध है, जांचे जाएंगे।
- 5.2. एक ठेकेदार एक ही मालिक की हैसियत से एक से अधिक नाम या व्यापार तथा साझेदार की दशा में दो से अधिक नाम या व्यापार सूचीबद्ध नहीं करा सकता। परन्तु किसी प्रतिष्ठान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्यता चाहे वह सूचीबद्ध हो या न हो, इस नियम के अन्तर्गत बाधक नहीं होगी।
- 5.3. एक ठेकेदार एक से अधिक ग्रुप में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है एवं आवेदन में विभिन्न ग्रुपों/विभिन्न वर्गों का उल्लेख कर सकता है।

6. नाम वापस लेना

- 6.1. सूचीबद्ध ठेकेदार पंजीकरण सूची से अपना नाम वापस लेने के लिए ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकारी समिति लि० के ई-पोर्टल पर आवेदन कर सकता है एवं उक्त आवेदन की स्वीकृत के उपरान्त उसका नाम पंजीकरण सूची एवं 'मेलिंग लिस्ट' से निकाल दिया जाएगा। यदि ठेकेदार ने स्थायी धरोहर धनराशि जमा की है तो कार्यालय से अदेयता/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके जहां वह निविदा देने के लिए अधिकृत था, धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी।
- 6.2. प्रतिबन्ध यह है कि यदि नाम वापस लेने का प्रार्थना पत्र देते समय निम्न पैरा 1-7, 1-8 तथा 1-9 के अन्तर्गत ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही लम्बित हो तो ऐसी दशा में मामले के निस्तारण तक कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी।
- 6.3. समस्त सुविधाएं एवं मान्यताएं जो ठेकेदार को प्राप्त हों, नाम वापस लेने पर समाप्त हो जाएंगी। यदि पहचान पत्र जारी किया गया होगा, तो उसे वापस करना होगा एवं ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकारी समिति लि० के ई-पोर्टल से हटा दिया जायेगा। यदि उसके द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पुनः करने की प्रार्थना की जाती है तो नए पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

7. निलम्बन

7.1. किसी ठेकेदार, जिसके विरुद्ध निम्नांकित बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही हो या धोखाधड़ी का आरोप हो, की सूचीबद्धता निलम्बित की जा सकती है और ऐसी दशा में उसे किसी भी कार्य के लिए ई-निविदा डालने की अनुमति तब तक न दी जाएगी जब तक उसके विरुद्ध लगे आरोपों की जांच नहीं हो जाती एवं वह आरोप मुक्त नहीं हो जाता:-

- (क) स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा बार-बार दुराचरण।
- (ख) कार्य की असन्तोषजनक प्रगति के लगातार अथवा निरन्तर दृष्टान्त।
- (ग) ऋणग्रस्तता में अभ्यस्त होना।
- (घ) बाजार में दुर्नाम।
- (ङ) अपने मजदूरों एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार एवं श्रम नियमों की अवहेलना।

- (घ) नशे की हालत में कार्यस्थल में उपस्थित होना।
- (छ) निम्न स्तर का कार्य एवं सामग्री का प्रयोग करके गुणवत्ता की उपेक्षा करना।
- (ज) अक्रमबद्ध तरीके से कार्य करना।
- (झ) निर्गत की गई सामग्री का समायोजन समय से प्रस्तुत न करना।
- (ट) ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० अथवा अन्य सरकारी सामग्री का गबन या दुरुपयोग।
- (ठ) गोपनीयता भंग करके अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य स्त्रोतों तक सूचनाएं पहुंचाना।
- (ड) परिकल्पना बोलना।
- (ढ) किसी क्रिमिनल केस में पुलिस द्वारा वांछित हो अथवा उस पर फौजदारी का कोर्ट केस चल रहा हो।
- (ण) समय-समय पर अन्य जो आदेश दिए जायें।

8. सूची से हटाया जाना (Removal)

8.1. ऐसे ठेकेदार को जो

- (क) उपरोक्त पैरा 1-6 में से किसी दोष के लिए दोषी पाया जाय, अथवा
- (ख) आचरण की दृष्टता से सम्बन्धित अपराध के लिए दण्डित हुआ हो, अथवा
- (ग) ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० उसी के समानान्तर किसी अन्य अभियन्त्रण संस्था अथवा सरकारी विभागों द्वारा काली सूची में रखा गया हो, अथवा
- (घ) निम्नलिखित पैरा 1-8 में निहित अयोग्यता में आता है पंजीकृत ठेकेदार की सूची से तुरन्त निकाल दिया जाएगा।

ऐसा आदेश करने वाला अधिकारी इस बात का स्पष्ट उल्लेख करेगा कि वह निर्णय स्थाई है या किसी निश्चित काल के लिए उचित समझा गया है। आदेश में अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा।

एक ठेकेदार जिसका नाम इस पैरा के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदार की सूची से हटा दिया गया हो या पैरा 1-6 के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया हो, किसी क्षतिपूर्ति या हर्जाने का हकदार न होगा।

9. नोडल अधिकारी, निदेशक से आदेश प्राप्त कर, फर्म का नाम हटाने का आदेश पारित करेंगे।

10. अयोग्यता

- 10.1. वह व्यक्ति/फर्म पंजीकरण हेतु अयोग्य होगा, यदि वह
 - (क) आचरण की दृष्टि से सम्बन्धित अपराध के लिए दण्डित हो चुका हो अथवा उससे सम्बद्ध रहा हो।
 - (ख) दिवालिया हो गया हो एवं उससे छुटकारा न पा सका हो, अथवा
 - (ग) अस्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, अथवा
 - (घ) ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० के अधीन लाभ का कोई पद

- ग्रहण किया हो, अथवा
- (ड) ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० की सेवा में किसी अधिशासी अभियन्ता, समकक्ष या उच्च अधिकारी से आर्थिक रूप में या अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो, अथवा
- (च) पूर्व में पंजीकृत ठेकेदारों की सूची से पैरा 1-7 के अन्तर्गत हटाया गया हो एवं अवधि जिसके लिए वह हटाया गया हो, समाप्त नहीं हुई है। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मामलों में नोडल अधिकारी तथ्यात्मक रूप से परीक्षण करते हुए प्रबन्ध निदेशक, आर०एल०सी०सी०एस०एल० से अनुमति के उपरान्त छूट प्रदान कर सकते हैं।

11. अपवाद

- 11.1. नियमों अथवा विधि के किसी प्राविधान के होते हुए भी, पंजीकरण, निलम्बन एवं पंजीकरण सूची से हटाए जाने से सम्बन्धित मामलों के प्रत्यावेदन नोडल अधिकारी को दिए जा सकते हैं तथा इनकी अपील सुनने का अधिकार निदेशक को होगा। प्रारम्भिक रूप से ऐसे मामले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे।

12. छूट

- 12.1. इसके पश्चात् इन नियमों में किसी बात के रहते हुए सक्षम अधिकारी पंजीकरण, निलम्बन एवं अग्रसारण के छूट से सम्बन्धित सभी मामलों में अपने उच्च अधिकारी को सूचित करेगा।

ढेकेदारों का वर्गीकरण एवं शुल्कों का निर्धारण

1. निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० में ढेकेदारों को निम्न के अनुसार वर्गीकृत किया गया है तथा उनकी हैसियत सीमा, जमानत राशि, पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:-
2. विभिन्न श्रेणी के लिए अधिकतम निविदा सीमा शासनादेश लोक निर्माण, अनुभाग-7, के पत्र संख्या 3460/23-7-08-41 एमएसए/54टी०सी०-111 दिनांक 28.07.2008 के क्रम में निम्नवत् होगी:-

| क्र. | श्रेणी | ए | बी | सी | डी | ई |
|------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | भवन एवं सड़क निर्माण तथा इससे सम्बन्धित वाटर सप्लाई, सीवर एवं विद्युत कार्य॥ | रु. 500 लाख | रु. 200 लाख | रु. 75.00 लाख | रु. 40.00 लाख | रु. 10.00 लाख |

3. निम्नवत् श्रेणी के लिए धरोहर धनराशि शासनादेश लोक निर्माण, अनुभाग-1, के पत्र संख्या 3503/23-7-2002-41एमएसए/54 दिनांक 12.09.2002 के क्रम में संशोधित एपेन्डिक्स (एच) (नियम-13) सामान्य जमानती धनराशि के अनुसार तथा हैसियत शासनादेश लोक निर्माण, अनुभाग-1, के पत्र संख्या 3460/23-7-08-41एम०एस०ए०/54टी.सी.-111 दिनांक 28.07.2008 के क्रम संख्या-2 एवं पृष्ठ संख्या-2 पर निर्धारित हैसियत सीमा के अनुसार है, तथा पंजीकरण शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क कालम संख्या-5 एवं 6 के अनुसार विभाग द्वारा निर्धारित है

| क्रमांक | पंजीयन की श्रेणी | धरोहर धनराशि | हैसियत | पंजीकरण शुल्क | नवीनीकरण शुल्क |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्रेणी-ए | रु. 2.50 लाख | रु. 50.00 लाख | रु. 30,000.00 +जी०एस०टी० | रु. 15,000.00 +जी०एस०टी० |
| 2 | श्रेणी-बी | रु. 1.00 लाख | रु. 40.00 लाख | रु. 20,000.00 +जी०एस०टी० | रु. 10,000.00 +जी०एस०टी० |
| 3 | श्रेणी-सी | रु. 0.375 लाख | रु. 20.00 लाख | रु. 15,000.00 +जी०एस०टी० | रु. 7,500.00 +जी०एस०टी० |
| 4 | श्रेणी-डी | रु. 0.125 लाख | रु. 5.00 लाख | रु. 7,500.00 +जी०एस०टी० | रु. 4,000.00 +जी०एस०टी० |
| 5 | श्रेणी-ई | रु. 0.05 लाख | -- | रु. 2,500.00 +जी०एस०टी० | रु. 1,500.00 +जी०एस०टी० |

4. धरोहर धनराशि

- 4.1. निविदाओं में उल्लिखित शर्तों के अनुसार निविदाताओं से सामान्य: निविदा के साथ धरोहर धनराशि मांगी जाती है। ई-निविदा में अनुमन्य धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ०डी०आर०, जिसकी वैधता न्यूनतम चार वर्ष एवं "निदेशक, ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि०, ललितपुर" के नाम बंधक होनी चाहिये।
- 4.2. किसी ढेकेदार को जो किसी एक श्रेणी के लिए पंजीकृत है, कुछ समय उस श्रेणी में कार्य करने के उपरान्त (उस श्रेणी हेतु अधिकतम लागत सीमा से दो गुना कार्य संतोषजनक रूप से) अपने ही ग्रुप में उसी फर्म को ऊपर की श्रेणी में पंजीकरण करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति नियमानुसार दी जा सकती है और ऐसी स्थिति में वह निविदा प्रपत्र के साथ इस उल्लिखित धरोहर राशि, स्थायी धरोहर राशि (यदि हो) का समायोजन करते हुए जमा करेगा। ऊपर की श्रेणी के अन्य शर्तों (पैरा 2-6 के अनुसार) को उसे पूरा करना होगा।

4.3. निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदादाता अनुबन्ध की शर्तों की पूर्ति के लिए निविदा प्रपत्र में उल्लिखित जमानती धनराशि जमा करेगा। निविदा के साथ जमा की गई धरोहर धनराशि जमानती धनराशि के रूप में परिवर्तित कर दी जायेगी। शेष धनराशि अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने से पूर्व ठेकेदार से जमा करा ली जायेगी। पंजीकृत ठेकेदारों के मामले में जिन्होंने स्थायी धरोहर राशि जमा कर दी है, जमानत की पूरी राशि उनके द्वारा जमा की जायेगी जैसा कि निविदा प्रपत्र में उल्लेख हो। स्थायी धरोहर धनराशि का कोई अंश किसी अनुबन्ध के लिए प्रमुक्त न होगा।

4.4. स्थाई धरोहर धनराशि के रूप में बैंक गारन्टी स्वीकार नहीं की जायेगी।

4.5. अनुसूचित जाति, जनजाति/पिछड़ी जाति के ठेकेदारों तथा बेरोजगार इंजीनियर ठेकेदारों का पंजीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग की भांति हैसियत की धनराशि तथा सामान्य धरोहर धनराशि की निर्धारित सीमा में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति के ठेकेदार जनरल सिक्क्योरिटी की 2 प्रतिशत धनराशि टेण्डर के साथ जमा करेंगे अवशेष धनराशि टेण्डर स्वीकृत होने पर जमा करेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं बेरोजगार इंजीनियर को भी प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

5. पंजीकरण शुल्क

5.1. पंजीकरण ठेकेदार आदेश की तिथि से 3 वर्ष के लिए मेलिंग लिस्ट में रखे जाने के लिए अधिकृत होंगे तथा इसी अवधि में वे निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत होंगे। यदि निविदा आवंटित होने के पश्चात् निविदा निर्धारित अवधि में उनका पंजीकरण समाप्त हो जाता है तो एक माह में नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाने की दशा में डुप्लिकेट प्रमाण पत्र रु0 1000/- के अतिरिक्त भुगतान पर जारी किया जाएगा। डुप्लिकेट पंजीकरण शुल्क की धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट जो “ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि0, ललितपुर” के पक्ष में जारी किया गया हो, द्वारा देय होगी।

6. नवीनीकरण शुल्क

6.1. पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के दो माह पूर्व नवीनीकरण के लिए ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि0 के आनलाइन पोर्टल पर आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं मशीनरी, तकनीकी कर्मचारी इत्यादि समस्त प्रपत्र पुनः अपलोड करना होगा, जिसका प्रारूप ई-पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पुनः पंजीकरण हेतु नया आवेदन करना होगा। नवीनीकरण शुल्क की धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहाकरी संघ लि0 के पक्ष में देय होगी।

7. हैसियत प्रमाण पत्र

7.1. हैसियत (साल्वेंसी) निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी) से प्राप्त की जानी होगी। फर्म/कम्पनी के नाम से पंजीकरण कराते समय फर्म/कम्पनी को फर्म/कम्पनी के नाम से हैसियत/साल्वेंसी, सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी) से प्राप्त संलग्न करनी होगी। ठेकेदार का पंजीकरण (उपयुक्त पाये गये आवेदको की सूचना वेबसाईड पर अपलोड किये जाने की तिथि से) तीन वर्ष के लिए किया जाएगा, लेकिन यदि बीच में हैसियत प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो जाती है तो समय पूर्व नया हैसियत प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं एक प्रति कार्यालय में अपने लेटर पैड पर आवेदन के साथ जमा करना आवश्यक होगा। लोक निर्माण विभाग की भांति अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति एवं बेरोजगार इंजीनियर ठेकेदारों के लिए हैसियत में 50 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के ठेकेदारों के लिए श्रेणी-डी में साल्वेंसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। हैसियत प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्नक के अनुसार होगा।

8. यदि कोई फर्म किन्ही कारणों से ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि०, ललितपुर द्वारा ब्लैक लिस्ट की जाती है तो उस फर्म का स्वामी या पार्टनर किसी अन्य फर्म का पार्टनर या स्वामी है तो वह फर्म ब्लैकलिस्ट स्वतः हो जायेगी।
9. राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता ठेकेदारी के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं है। कार्य का अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे पंजीकरण/अनुबन्ध को प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
10. ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी जो किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते हैं, को भी कोई निविदा अनुमन्य नहीं होगी तथा इस श्रेणी के आवेदक पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे।
11. आवेदक को रू० 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी सहित यह घोषणा-पत्र देना अनिवार्य होगा कि वह किसी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है।
12. किसी भी ठेकेदार को निविदा दिये जाने के उपरान्त भी यदि कोई तथ्य प्रमाणित होता है कि संबंधित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा अन्य सम्भावित निविदाकर्ताओं को धमकाया गया है अथवा उन्हें प्रक्रिया में भाग लेने एवं टेण्डर डालने से रोका गया है अथवा यह पाया जाता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो जिलाधिकारी अथवा पुलिस से जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

13. चरित्र प्रमाण पत्र

- 13.1. आवेदक को जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा, जिसका प्रारूप संलग्न है। वर्तमान निवास का पता भी सत्यापित कराकर देना होगा।

14. पंजीयन प्रपत्र शुल्क

- 14.1. पंजीयन प्रपत्र (फार्म) शुल्क का विवरण निम्नवत् है-

| | |
|-------------|---|
| “श्रेणी-ए” | रू० 2,000.00 (18 प्रतिशत जी०स०टी० अतिरिक्त) |
| “श्रेणी-बी” | रू० 1,500.00 (18 प्रतिशत जी०स०टी० अतिरिक्त) |
| “श्रेणी-सी” | रू० 1,000.00 (18 प्रतिशत जी०स०टी० अतिरिक्त) |
| “श्रेणी-डी” | रू० 800.00 (18 प्रतिशत जी०स०टी० अतिरिक्त) |
| “श्रेणी-ई” | रू० 500.00 (18 प्रतिशत जी०स०टी० अतिरिक्त) |

उक्त धनराशि “निदेशक, ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि०, ललितपुर” के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या XXXXXXXXXXXXX (IFSC: XXXXXXXXXXXXX) में जमा कर ट्रान्जेक्शन की रसीद फार्म के साथ अपलोड करनी आवश्यक होगी।

पंजीकरण हेतु ठेकेदारों की योग्यता एवं अन्य आवश्यकतायें

1. विभिन्न श्रेणी हेतु ठेकेदारों की योग्यता निम्नवत् होगी:-

| श्रेणी | अनुभव | टिप्पणी |
|--------|--|--|
| ए | पिछले 6 वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं इससे पहले के 5 वित्तीय वर्ष में जिनकी पूर्णता की तिथि है) में कम से कम रु0 500 लाख के भवन निर्माण कार्य जिसमें एक कार्य रु0 200 लाख अथवा दो रु0 150 लाख अथवा तीन कार्य रु0 100 लाख की लागत के कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होना आवश्यक है। रु0 200.00 लाख/रु0 150.00 लाख/रु0 100.00 लाख की लागत सीमा के कार्यों में एक कार्य सरकारी विभाग /उपक्रम/संस्था/निगमों के होना आवश्यक है। | 1. श्रेणी-ए हेतु ठेकेदार स्थायी अभियन्त्रण संस्था होना चाहिये। अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपने संस्था के बारे में पूर्ण विवरण देना होगा। उनके पास पर्याप्त मशीनरी एवं टूल्स होना चाहिए तथा पूर्ण विवरण देना होगा। संस्था में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण, पंजीकरण के समय या उसके बाद किसी भी समय आर0एल0सी0सी0एस0एल0 द्वारा किया जा सकता है तथा प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। |
| बी | पिछले 6 वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं इससे पहले के 5 वित्तीय वर्ष में जिनकी पूर्णता की तिथि है) में कम से कम रु0 200 लाख के निर्माण कार्य जिसमें कम से कम एक कार्य रु0 100 लाख, चार कार्य रु0 50 लाख अथवा पाँच कार्य रु0 40 लाख की लागत के संतोषजनक रूप से पूर्ण होना आवश्यक है। रु0 100 लाख/रु0 50 लाख/रु0 40 लाख की लागत सीमा के कार्यों में एक कार्य सरकारी विभाग/उपक्रम/ संस्था/निगमों के होना आवश्यक है। | 2. श्रम विभाग से नवीनतम लाइसेंस अनिवार्य होगा। श्रम विभाग के विवाद के लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा। 3. बी.ई./बी.टेक(सिविल) अथवा समकक्ष डिग्री धारकोंको बिना अनुभव के 'सी' श्रेणी में पंजीकृत किया जा सकता है। |
| सी | पिछले 6 वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं इससे पहले के 5 वित्तीय वर्ष में जिनकी पूर्णता की तिथि है) में कम से कम रु0 75 लाख के निर्माण कार्य जिसमें एक कार्य रु0 50 लाख, तीन कार्य रु0 25 लाख के संतोषजनक रूप से पूर्ण होना आवश्यक है। रु0 50 लाख/ रु0 25 लाख के लागत सीमा के कार्यों में एक कार्य सरकारी सरकारी विभाग /उपक्रम/संस्था/निगमों के होना आवश्यक है। | |
| डी | पिछले 6 वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं इससे पहले के 5 वित्तीय वर्ष में जिनकी पूर्णता की तिथि है) में कम से कम रु0 40 लाख के निर्माण कार्य जिसमें एक कार्य रु0 40 लाख अथवा दो रु0 20 लाख के चार कार्य रु0 10 लाख अथवा पाँच कार्य 8 लाख की लागत के संतोषजनक रूप से पूर्ण होना आवश्यक है। रु0 40 लाख/ 20 लाख/ 10 लाख/ 8 लाख की लागत सीमा के कार्यों में से एक कार्य सरकारी विभाग/उपक्रम /संस्था/निगमों के होना आवश्यक है। | |

| | | |
|---|--|--|
| ई | <p>पिछले 6 वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं इससे पहले के 5 वित्तीय वर्ष में जिनकी पूर्णता की तिथि है) में कम से कम रु0 15 लाख के निर्माण कार्य जिसमें एक कार्य रु0 8 लाख अथवा दो रु0 5 लाख के तीन कार्य रु0 4 लाख का किसी सरकारी विभाग/उपक्रम /संस्था/निगमों के होना आवश्यक है।</p> <p>अथवा</p> <p>लेबर दरों पर पिछले सात वर्षों में कुल रु0 4 लाख के संतोषजनक रूप से कराये गये कार्य भी मान्य होंगे।</p> | |
|---|--|--|

2. (संशोधित)

प्रत्येक श्रेणी हेतु निम्नानुसार तकनीकी स्टाफ का होना आवश्यक है:-

| श्रेणी | ग्रेजुएट इंजीनियर | डिप्लोमा होल्डर | अन्य बिन्दु |
|--------|-------------------|-----------------|---|
| ए | 1 | 2 | किसी भी प्रकार के विद्युत कार्य कराने हेतु सम्बन्धित ठेकेदार के पास मुख्य विद्युत निरीक्षक, 30प्र0 शासन द्वारा प्रदत्त 'क' श्रेणी का अनुमोदित वैध लाइसेंस होल्डर का होना आवश्यक है। विद्युत कार्य प्रारम्भ के पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को लिखित रूप से अवगत कराते हुये आवश्यक विवरण एवं लाइसेंस उपलब्ध कराना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। |
| बी | 1 | 1 | -तदैव- |
| सी | - | 1 | -तदैव- |
| डी | - | - | -तदैव- |
| ई | - | - | -- |

टिप्पणी:

- 10/- रुपये के नान जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित कराकर देना होगा।
- श्रेणी ए एव बी के पास पर्याप्त मात्रा में तकनीकी स्टाफ होने चाहिए जो भलि भांति मानचित्र पढ़ने में, कार्यों की प्लानिंग एवं सम्पादन में, निविदा निपुणता से भरने में, बिल बनाने में तथा कार्यों के पर्यवेक्षण में सक्षम हो।

3. विभिन्न श्रेणी हेतु आवश्यक मशीनरी, टूल्स एवं प्लान्ट्स:-

निर्माण कार्यों पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूची:-

| क्र. | मशीनरी का नाम | श्रेणी | | | | |
|------|----------------|--------|----|----|----|---|
| | | ए | बी | सी | डी | ई |
| 1 | कंक्रीट मिक्सर | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | वाइब्रेटर्स | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | पम्पस | 2 | 1 | 1 | - | - |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 4 | डीजल विनचिस 65 टन क्षमता का | 2 | 1 | - | - | - |
| 5 | एक्सकेवेटर-कम-लोडर, 1/2 से 1 मी ³ की क्षमता वाले (सेतु के लिए) | 4 | 2 | - | - | - |
| 6 | डीजल जनरेटर सैट 25कि0वाट (सेतु के लिए) | 1 | - | - | - | - |
| 7 | ट्रैक्टर-ट्रॉली | 2 | 1 | - | - | - |
| 8 | रोड रोलर केवल सड़क के लिए | 2 | - | - | - | - |
| 9 | थ्योडोलाइट | 1 | 1 | - | - | - |
| 10 | लेवलिंग मशीन स्टाफ सहित | 2 | 1 | - | - | - |
| 11 | बिटुमिन बॉयलर विद स्प्रेयर | 1 | - | - | - | - |

टिप्पणी: रू0 10/- के नान जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित कराकर देना होगा।

4. ठेकेदारों द्वारा अपने अनुभव का विवरण निम्नानुसार देना होगा:-
 प्रारूप- पिछले छः वर्षों में पूर्ण किये गये समस्त निर्माण कार्यों का विवरण
 ठेकेदार का नाम-

| क्र. | विभाग/खण्ड का नाम पता | कार्य का नाम | लागत | कार्य प्रारम्भ की तिथि | कार्य समाप्ति की तिथि | | हस्तान्तरण की तिथि | प्रमाण पत्र संलग्न की स्थिति |
|------|-----------------------|--------------|------|------------------------|-----------------------|----------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | अनुबन्ध | वास्तविक | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5. निर्माणाधीन समस्त कार्यों का विवरण:-

प्रारूप

| क्र. | विभाग/खण्ड का नाम पता | कार्य का नाम | लागत | कार्य प्रारम्भ की तिथि | कार्य पूर्ण की सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित तिथि | सम्पादित कार्य की लागत | प्रमाण पत्र (संलग्नक की स्थिति) |
|------|-----------------------|--------------|------|------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ढेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नियम एवं शर्तें
(पूर्व वर्णित चैप्टर-1 से चैप्टर-3 तक के प्रावधानों के अग्रतर)

1. भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ढेकेदार निम्नानुसार अंकित मूल्य तक कार्य लेने हेतु अधिकृत है:-

| | | |
|-----------|-----|---------------|
| ए श्रेणी | रु0 | 500.00 लाख तक |
| बी श्रेणी | रु0 | 200.00 लाख तक |
| सी श्रेणी | रु0 | 75.00 लाख तक |
| डी श्रेणी | रु0 | 40.00 लाख तक |
| ई श्रेणी | रु0 | 10.00 लाख तक |
2. रु0 500.00 लाख से अधिक कार्यों हेतु निगम में पंजीकृत ए श्रेणी के ढेकेदारों के अतिरिक्त अपंजीकृत ढेकेदार भी निविदा डालने के लिए अधिकृत होंगे परन्तु अपंजीकृत ढेकेदार के सफल निविदादाता होने के स्थिति में अनुबन्ध से पूर्व उपयुक्त श्रेणी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसी निविदाएं टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत आमंत्रित की जायेगी। विभाग द्वारा अन्य श्रेणियों में भी टू बिड सिस्टम का निर्णय निर्माण कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार लिया जा सकता है।
3. निर्माण कार्यों पर 1-2 के अनुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा।
4. निर्माण कार्यों पर 3-3 के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था ढेकेदार को करनी होगी एवं उसकी देखभाल, खर्चा आदि स्वयं वहन करना होगा। यदि कोई मशीनरी विभाग द्वारा दी गयी है तो उसका किराया निर्धारित दरों पर बिल से काटा जाएगा।
5. ढेकेदारों को कार्य की अनुमानित लागत के अनुसार निविदा के समय पूरा 10 प्रतिशत या 5 प्रतिशत (एन0आई0टी0) के अनुसार निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 (राष्ट्रीयकृत बैंक) जो प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 के पक्ष में बंधक हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा प्रपत्रों के साथ जमा करानी होगी।
6. पंजीकृत ढेकेदारों को आर0एल0सी0सी0एस0एल0 द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, फिनिशिंग ठीक न करना, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को काली सूची में दर्ज करने, युक्तियुक्त अर्थदण्ड लगाने तथा निविदाओं में प्रतिभाग करने से रोक लगाने का अधिकार मुख्य अभियन्ता का होगा। ब्लैक लिस्टेड ढेकेदारों की सूची को विभागीय वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।
7. आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के किसी भी पार्टनर का निकट का रिश्तेदार (ब्लड रिलेशन) उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 में कार्यरत नहीं है। ब्लड रिलेशन में पिता-पुत्र, भाई-बहन, चाचा, दादा, नाना, पौत्र, फर्स्टकजिन, सास-श्वसुर, दामाद, बहनोई, पति-पत्नी, माता, मामी, मौसा, चचेरे भाई-बहन, मौसेरे भाई-बहन आदि शामिल है। यदि पंजीकरण के उपरान्त इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ढेकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

8. निविदा प्रपत्र मूल्य निम्नानुसार अथवा भविष्य में संशोधन की स्थिति में तदनुसार देय होगा:-

| श्रेणी | पंजीकरण शुल्क जी०स०टी० (18 प्रतिशत) अतिरिक्त |
|--------|---|
| ए | रु. 30,000.00 |
| बी | रु. 20,000.00 |
| सी | रु. 15,000.00 |
| डी | रु. 7,500.00 |
| ई | रु. 2,500.00 |

9. हैसियत प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट/राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त कर देना होगा।
10. आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप पर एवं वर्तमान निवास स्थान का पता सत्यापित कराकर देना होगा।
11. प्रमाण पत्रों के साथ चस्पा की जाने वाली फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी/नोटरी से प्रमाणित होनी चाहिए।
12. आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी।
13. सभी पंजीकृत ठेकेदारों को परिचय पत्र निर्गत किये जायेंगे जो ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० के किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा मांगने पर दिखाया होगा।
14. ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय, अनुबन्ध एवं देयक आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार एवं उसके द्वारा अधिकृत जो कोई एक व्यक्ति ही करेगा, का शपथ पत्र देना होगा।
15. पंजीकरण शुल्क उपरोक्तानुसार देय होगा। पंजीकरण दो वर्ष हेतु मान्य होगा। पंजीकरण शुल्क की धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० के पक्ष में जारी किया गया हो, द्वारा देय होगी।
16. पंजीकरण के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार निदेशक, ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० में निहित है।
17. पंजीकृत ठेकेदार को ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० द्वारा भविष्य में भी समय-समय पर जारी किये गये आदेश मानने होंगे।
18. जो भी व्यक्ति अथवा संस्था ठेकेदारी का कार्य करना चाहेगी उन्हें स्व-घोषणा पत्र (संलग्न) के अनुसार रु० 100/- के स्टैम्प पेपर पर सत्यापित कराकर किया जाएगा। यह अनुबन्ध का अनिवार्य अंग है और बिना इसके कोई भी ठेका स्वीकार नहीं होगा। (परिशिष्ट-‘स’)
19. पंजीकरण शुल्क की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, जो पैरा सुसंगत नहीं होंगे, उनके सामने “लागू नहीं” लिखा जाएगा।
20. सभी पंजीकृत ठेकेदारों को उस क्षेत्र के आयकर अधिकारी को प्रत्येक वर्ष में निर्धारित तिथि के अन्तर्गत आयकर क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उनका कर निर्धारण होता हो। आयकर क्लियरेंस प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रत्येक वर्ष में निर्धारित तिथि के एक माह के अन्तर्गत मुख्यालय को प्रस्तुत करना चाहिए जिसने ठेकेदार को पंजीकृत किया है। यदि कोई ठेकेदार आयकर क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल

रहता है अथवा विलयरेन्स प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में कोई समर्थनीय कारण दर्शाने में असमर्थ रहता है तो उसका नाम पंजीकरण सूची से हटा दिया जाएगा।

21. अधिकारी कैडर के किसी अभियन्ता अथवा अन्य अधिकारी जो ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० में अभियन्त्रण या प्रशासनिक कार्यों हेतु सेवायुक्त हो, को सेवा निवृत्त होने के दो वर्षों तक बिना ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० की पूर्व आज्ञा के ठेकेदार के रूप में अथवा ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि पंजीकरण के बाद भी ऐसा व्यक्ति होना पाया जाता है जिसने उपर्युक्तानुसार ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० से अनुमति न ली हो तो उसका नाम मान्यता प्राप्त ठेकेदार की सूची से हटा दिया जाएगा।
22. अधिकारियों के सम्बन्धियों (ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० के सहायक अभियन्ता एवं समकक्ष या उच्च अधिकारियों को शामिल करते हुए) को उक्त अधिकारी के क्षेत्राधिकार में ठेकेदार के रूप में पंजीकरण/कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निकट सम्बन्धियों में पिता-पुत्र, भाई-बहन, चाचा, दादा, नाना, पौत्र, फर्स्टकजिन, सास-श्वसुर, दामाद, बहनोई, पति-पत्नी, माता, मामी, मौसा, चचेरे भाई-बहन, मौसरे भाई-बहन आदि शामिल हैं।
23. क्षमता निर्धारण हेतु वर्क इन हैंड एवं गत छः वर्ष(वर्तमान वित्तीय वर्ष और उससे पहले के पाँच वित्तीय वर्ष) में किये गये कार्यों के विवरण 3-4(i) के अनुसार में देना होगा, जिसके साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
24. धरोहर धनराशि निर्माण/विकास कार्य के संतोषजनक पूरा होने अथवा अन्तिम भुगतान के छः माह बाद जो भी बाद में हो, अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप वापस की जायेगी।
25. ठेकेदारों द्वारा आयकर विभाग का पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति तथा बैलेंस शीट देना होगा।
26. ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० में पंजीकृत फर्मों का नवीनीकरण किये जाने या आगे की अवधि हेतु वैद्यता बढ़ाने के लिए फर्म को गत वर्ष में किये गये भवन कार्यों निर्माण/विकास कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का प्रमाण पत्र देना होगा। उपरोक्त वर्णित राजकीय विभाग/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में किये गये कार्यों का संतोषजनक रूप से पूर्ण होने का उल्लेख होना चाहिए, जिसकी पुष्टि कराने के उपरान्त अभिलेखानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी, जो सभी श्रेणी के फर्मों पर मान्य होगी।
27. पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण दो वर्ष के लिए किया जाएगा। लेकिन पंजीकरण समाप्त होने के एक माह पूर्व इस हेतु आवेदन समस्त प्रमाण पत्रों यथा चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र तथा किये गये कार्यों का संतोषजनक रूप से पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि पंजीकृत अवधि में किसी प्रमाण पत्र की वैद्यता समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह बिना मांगे उक्त प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराकर प्रस्तुत करें अन्यथा विभाग द्वारा पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
28. यदि कोई फर्म किन्ही कारणों से ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० द्वारा ब्लैक लिस्ट की जाती है तो उस फर्म का स्वामी या पार्टनर किसी अन्य फर्म का पार्टनर या स्वामी है तो वह फर्म भी ब्लैकलिस्ट स्वतः ही हो जाएगी।
29. बी०ई०/बी०टेक (सिविल) एवं समकक्ष डिग्रीधारकों का पंजीकरण बिना किसी अनुभव के “सी” श्रेणी में किया जा सकता है।
30. विद्युतीकरण के कार्य निदेशक, विद्युत सुरक्षा, ३०प्र० शासन द्वारा निर्गत “क” श्रेणी अनुमोदित लाइसेन्स धारक से कराये जायेंगे तथा कार्य प्रारम्भ के पूर्व सम्बन्धित लाइसेन्स की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी। फायर फाइटिंग/एन्टीटरमाइट ट्रीटमेंट /ब्रिक कोबा/ओवर हेड टैंक/बोरिंग एवं रेन

वाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि कार्य इस कार्य के दक्ष एजेन्सियों/कुशल कामकारों से ही कराना होगा। जहाँ भी इस हेतु लाइसेंसी प्राविधानित है उसका अनुपालन करना होगा।

31. एक व्यक्ति एक ही फर्म में प्रोपराइटर अथवा साझीदार हो सकता है।
32. राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता ठेकेदारी के पंजीकरण हेतु पात्र नहीं है। कार्य का अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे पंजीकरण/अनुबन्ध को प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
33. ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी जो किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते हैं, को कोई निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। इस श्रेणी के आवेदक पंजीकरण हेतु पात्र नहीं है। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
34. किसी भी ठेकेदार को निविदा/अनुबन्ध स्वीकृत होने के उपरान्त यदि कोई तथ्य प्रमाणित होता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा अन्य सम्भावित निविदाकर्ताओं को धमकाया गया है अथवा उन्हें प्रक्रिया में भाग लेने एवं टेण्डर डालने से रोका गया है अथवा यह पाया जाता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो जिलाधिकारी अथवा पुलिस से जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध या ठेका निरस्त कर दिया जाएगा परन्तु निरस्तीकरण से पूर्व उसे कारण बताओं नोटिस अवश्य दी जाएगी।
35. वर्तमान में ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू की जा चुकी है, जिस हेतु यू.पी. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि०(यूपीएलसी) नामित एजेन्सी है। अतः इस सम्बन्ध में इनके द्वारा जारी निदेशों के अनुसार कार्यवाही समस्त ठेकेदारों को करनी होगी। इसके अनुसार अन्य कार्यवाही के साथ-साथ डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धित कार्यवाही भी करनी होगी। श्रेणी ए में पंजीकृत ठेकेदारों के पास अपने स्वयं की कम्प्यूटर व्यवस्था वांछित होगी।
36. प्राप्त आवेदन पत्र के साथ जमा किये गये प्रपत्रों के आधार पर उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। ठेकेदार द्वारा पंजीकरण फार्म के साथ जो प्रपत्र यथा चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, एफ०डी०आर० आदि जमा करने के तदोपरान्त उक्त प्रपत्रों के सत्यापन में किसी भी प्रपत्र के किसी भी स्तर पर असत्य/फर्जी पाये जाने पर फर्म का पंजीयन स्वतः निरस्त समझा जायेगा। इस हेतु फर्म को रु० 100/- का नोटरी शपथ पत्र देना होगा (प्रारूप संलग्न)।
37. प्राप्त आवेदन पत्रों का यथासंभव साप्ताहिक निस्तारण किया जायेगा।
38. किसी भी विवाद के निस्तारण का अधिकार निदेशक, ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० को होगा तथा निदेशक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
39. उक्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत किसी भी विवाद के निस्तारण का क्षेत्राधिकार ललितपुर स्थित न्यायालय का होगा।
40. ठेकेदारों/फर्मों के पंजीकरण की स्वीकृति निदेशक, ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० द्वारा बनायी गयी समिति की संस्तुति के आधार पर श्रेणी ए, बी, सी, डी एवं ई में प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० के स्तर से की जायेगी।

आवेदन पत्र का क्रमांक :.....

1. नाम/फर्म.....
2. पूरा पता.....
.....
.....मो0नं0.....फोन नं0.....
ई-मेल.....आधार कार्ड सं0.....
3. स्वामित्व/पार्टनरशिप प्रारूप-द (संलग्न-1)
4. स्टाफ की संख्या नाम व पते। (संलग्नक-2)
5. वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र। (संलग्नक-3)
6. पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र एवं सत्यापित निवास स्थान का पता। (संलग्नक-4)
7. दो नवीनतम प्रमाणित फोटो संलग्न करनी होगी। (समस्त भागीदारों की) तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति (संलग्नक-5)
8. आयकर विभाग से पिछले वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति एवं बैलेंस शीट, पै नं0 की छायाप्रति। (संलग्नक-6)
9. वाणिज्यकर विभाग द्वारा GST नम्बर की छायाप्रति। (संलग्नक-7)
10. पी0एफ0 रजिस्ट्रेशन। (संलग्नक-8) (यदि उपलब्ध है)
11. इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के किसी भी पार्टनर का निकट का रिश्तेदार/ब्लड रिलेशन निगम में कार्यरत नहीं है। (संलग्नक-9)
12. रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर सत्यापित स्वघोषणा पत्र (संलग्नक-10)।
13. निर्माण/विकास कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी की सूची। (संलग्नक-11)
14. पिछले छः (वर्तमान वर्ष एवं पहले के पाँच वर्ष) वर्षों में किये गये भवन निर्माण/विकास कार्यों के विवरण की सूची। (संलग्नक-12)
15. निर्माणाधीन कार्यों की सूची। (संलग्नक-13)
16. सभी अनुभव प्रमाण पत्र। (संलग्नक-14)
17. डिग्री/डिप्लोमा होल्डर अभियन्ता की डिग्री/डिप्लोमा की प्रमाणित प्रतिलिपि। (संलग्नक-15)
18. परिशिष्ट-स के अनुसार शपथ-पत्र।
19. पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (संलग्नक-16)

20. अन्य आवश्यक संलग्नक यदि जमा किया गया है उसका उल्लेख करें। (संलग्नक-17)
21. विद्युत कार्य के लिए पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशक, 30प्र0 शासन द्वारा निर्गत श्रेणी-“क” अनुमोदित लाइसेन्स प्रस्तुत करना होगा। (संलग्नक-18)
22. आवेदन पत्र ऑनलाइन ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि0 की वेबसाइट www.rlccsl.co.in पर आवेदन करना होगा एवं जाँचोपरान्त समस्त प्रपत्र सही पाये जाने पर विभाग द्वारा सम्बन्धित के ई-मेल पर सूचना प्राप्त होने के उपरान्त मूल प्रति एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी आवश्यक होगी।
23. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड होने चाहिए।
24. एक से अधिक ग्रुप में पंजीकरण हेतु अलग-अलग प्रपत्रों पर आवेदन पत्र आनलाइन भरना आवश्यक होगा।
25. जो अंश लागू न हो उसमें **Not Applicable** लिख कर अपलोड किया जाए।

| | | | |
|--|--|--|--|
| नवीनतम सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (सभी भागीदारों के) | | | |
|--|--|--|--|

नमूना हस्ताक्षर

.....

.....

नमूना हस्ताक्षर

.....

.....

शपथ पत्र

मैं.....पुत्र श्री निवासी
(स्थायी पता).....(अस्थाई पता).....
..... का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ:-

सम्बन्धित अधिकारी
द्वारा प्रमाणित
पासपोर्ट साइज का
नवीनतम फोटोग्राफ
चर्या किया जाय

1. मैं ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० का ए/बी/सी/डी श्रेणी का पंजीकृत ठेकेदार हूँ/नहीं हूँ। (विभाग द्वारा निर्गत श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय) मेरे पास पर्याप्त चल और अचल सम्पत्ति है और व्यवसायिक रूप से मैं ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० के कार्यों को पूरा करने के लिए सक्षम और समर्थ हूँ। मेरे पास आवश्यक मशीनें और उपकरण आदि भी है तथा मुझे इस कार्य का पर्याप्त अनुभव है।
2. ग्रामीण श्रम निर्माण सहाकरी समिति लि० द्वारा जो (कार्य का विवरण लिखा जाय) कराने की निविदा निर्गत की गई है अथवा निर्गत की जाएगी, उसके लिए मैं विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निविदा भर रहा हूँ।
अथवा पंजीकरण आवेदन होने की दशा में "लागू नहीं" लिखें।
3. मेरे द्वारा दिये जा रहे प्रमाण पत्र: चरित्र प्रमाण पत्र/हैसियत प्रमाण पत्र/आयकर प्रमाण पत्र/व्यापार कर प्रमाण पत्र/बीड सेक्वोरिटी प्रमाण पत्र/बीड कैपिसिटी प्रमाण पत्र/जमानत धनराशि आदि का प्रमाण पत्र तथा अन्य सुसंगत अभिलेख आदि मूलरूप में निविदा पत्र/पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।
अथवा पंजीकरण हेतु मांगे गये प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न कर दिये गये हैं।
4. मेरा पैन नं०..... है। (आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)।
5. मेरे विरुद्ध अपराधिक मुकदमों का विवरण निम्न प्रकार है। यहां पूरा विवरण दिया जाये:-
 1. मुकदमा नम्बर.....
 2. धारयें.....
 3. थाना.....
 4. जनपद.....
 5. न्यायालय(जहां मुकदमा चल रहा है).....
6. मैं लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार की श्रेणी में नहीं आता हूँ। मैं अपराधिक गतिविधियों, माफिया तथा गैंगेस्टर गतिविधियों और संगठित अपराध करने की गतिविधियों और असामाजिक कार्यों आदि में लिप्त नहीं हूँ। मैं माफिया और अपराधी नहीं हूँ। मेरा चाल-चलन, कार्य तथा आचरण उत्तम है।
7. मेरे विरुद्ध जनपद में तथा प्रदेश में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है।
8. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात् मेरे विरुद्ध माफिया गतिविधियों/असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है तो सक्षम

अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह मेरा ठेका/अनुबन्ध निरस्त कर दे। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी यह अधिकार होगा कि वह मेरे विरुद्ध अपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज कराये।

9. मैं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार समय से पूरी गुणवत्ता के साथ तथा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूरा करूंगा और विभाग को पूरा सहयोग प्रदान करूंगा।

10. मेरा कार्य एवं आचरण उत्तम है।

11. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा स्थाई पता और अस्थायी पता निम्न प्रकार है:-

(अ) स्थायी पता (दूरभाष सहित).....

(ब) अस्थायी पता (दूरभाष सहित).....

(यहां पूरा पता दूरभाष सहित एवं पिनकोड सहित लिखा जाय)

12. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ तथा विभाग द्वारा प्रदान किये गये कार्य के पूरा होने तक मेरे किसी पते में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना मैं तत्काल प्रखण्ड प्रभारी/ प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि० और जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर को दूंगा।

13. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि विभाग के जिस कार्य के लिए मेरे द्वारा ठेका लिया जा रहा है उसके सापेक्ष चल एवं अचल सम्पत्ति का हैसियत प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/ राष्ट्रीयकृत बैंक (जनपद का नाम लिखा जाय).....द्वारा प्राप्त करके मूलरूप से संलग्न किया जा रहा है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा अथवा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न है।

अथवा पंजीकरण हेतु मांगे गये हैसियत प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। इसका उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए नहीं होगा।

14. मैं अपनी पूर्ण जानकारी पूरे होशो-हवाश में, स्वस्थचित्त, पूरी सत्यनिष्ठा तथा स्वेच्छ से यह शपथ पत्र लिखकर दे रहा हूँ। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक

शपथी का पूरा हस्ताक्षर

पूरा नाम-

पता-


नोट:-

1. यह स्वघोषणा शपथ-पत्र रु० 100/- (रु० एक सौ) के Stamp Paper पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा।
2. असत्य शपथ-पत्र देना एवं संगीन और संज्ञेय अपराध है।
3. सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, शपथ पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट.....

चरित्र प्रमाण-पत्र

- 1- आवेदक का नाम श्री/श्रीमती.....
- 2- पिता/पति का नाम श्री.....
- 3- आयु.....
- 4- शैक्षिक योग्यता.....
- 5- व्यवसाय.....
- 6- पता-(अ) स्थायी पता दूरभाष सहित.....
(ब) अस्थायी पता दूरभाष सहित.....
- 7- अपराधिक मुकदमों का विवरण.....
(व्यक्ति के विरुद्ध जनपद में दर्ज मुकदमों, अपराधिक गतिविधियों और आसमाजिक कार्यों का विवरण दिया जाय। यदि किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा चल रहा है तो उसका विवरण भी दिया जाय। यदि सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों/निगमों द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो तो उसका विवरण भी दिया जाय। माफिया/गैंगेस्टर गतिविधियों एवं संगठित अपराधों के लिप्त व्यक्तियों के बारे में विशेष रूप से जाँच करने के बाद ही प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय और इसका उल्लेख इस कालम में अवश्य किया जाय।)
- 8- सामान्य ख्याति.....
- 9- प्रमाण-पत्र:-



मेरे द्वारा श्री.....के कार्य और आचरण तथा चरित्र के सम्बन्ध में पूरी तथ्यात्मक जानकारी कर ली गयी है। इनके विरुद्ध अपराधिक मुकदमों की सूचना भी पुलिस से प्राप्त की गयी है। सभी तथ्यों की जानकारी के पश्चात् मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री.....का कार्य और आचरण तथा चरित्र उत्तम है, और इनके सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग/निगमों में ठेकेदार का कार्य करने पर सामान्यतः आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर
(मुहर सहित)

नोट:-

1. जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा यह प्रमाण-पत्र अपने स्वयं के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा। उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
2. प्रमाण-पत्र देने के पूर्व वह आवश्यकतानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/तहसीलदार /एस0डी0एम0/अपर जिलाधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी से जाँच कराकर रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
3. सम्बन्धित व्यक्ति से स्वघोषणा शपथ-पत्र भी ले सकते हैं।
4. यह प्रमाण-पत्र सामान्यतः दो वर्ष के लिये मान्य होगा। यदि इससे पूर्व कोई अपराधिक घटना होती है अथवा प्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा आदि दर्ज होता है या वह किसी संगठित अपराध में या माफिया गतिविधियों में या आसामाजिक गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो पुलिस विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि इसकी सूचना वह जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को देगा और प्रमाण-पत्र तत्काल निरस्त किया जायेगा।
5. इन प्रमाण पत्रों की प्रविष्ट जिलाधिकारी कार्यालय में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में विधिवत अंकित की जायेगी और निर्गत प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित फोटो प्रति रजिस्टर में अवश्य रखी जायेगी।
6. इस प्रमाण-पत्र के निर्गत करने अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का होगा।

7. निर्गत प्रमाण-पत्र की एक कार्यालय प्रति (Office Copy) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अवश्य रखी जायेगी और एक अलग रजिस्टर में प्रविष्टि अंकित की जायेगी जिससे रिकार्ड रहे।
8. सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, चरित्र प्रमाण-पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा।

www.rlccsl.co.in

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट.....

हैसियत प्रमाण-पत्र

- 1- प्रार्थी का नाम (व्यक्ति/फर्म/संस्था का नाम).....
- 2- पिता/पति का नाम श्री.....
- 3- निवास स्थान.....
(अ) पूरा स्थायी पता दूरभाष सहित.....
(ब) अस्थायी पता दूरभाष सहित.....
- 4- व्यवसाय.....

फोटो

5. सम्पत्ति का विवरण:- जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के द्वारा चल/अचल सम्पत्ति/हैसियत के सम्बन्ध में पूरा विवरण निम्न प्रकार से दिया जाय।
 - a. अचल सम्पत्ति- जमीन/भूखण्ड/मकान/दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/उद्योग धन्धे आदि का पूरा विवरण। यह सम्पत्ति ठेकेदार के नाम अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय। सम्पत्ति का मूल्यांकन/बाजार मूल्य तथा सम्पत्ति बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था में मार्गेज हो तो उसका विवरण भी दिया जाय।
 - b. चल सम्पत्ति- मोटर वाहन/निर्माण कार्यो में प्रयुक्त मशीनों तथा अन्य चल सम्पत्ति का पूरा विवरण दिया जाय यह सम्पत्ति ठेकेदार के नाम अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय। सम्पत्ति का मूल्यांकन/बाजार मूल्य कितना है। यह सम्पत्ति बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था में मार्गेज हो तो उसका विवरण भी दिया जाय।
6. बैंक अथवा वित्तीय संस्था में कोई धनराशि हो तो इसके लिये बैंक का नाम/खाता संख्या एवं उसमें रखी धनराशि का विवरण दिया जाय। इसके लिये बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।
7. हैसियत प्रमाण-पत्र के लिये हैसियत के रूप में यदि बैंक में जमा धनराशि दर्शायी जाती है तो वह धनराशि कम से कम तीन माह पहले से बैंक में जमा होनी चाहिये और कार्य पूरा होने तक बैंक में अवश्य जमा रहनी चाहिये।
8. प्रार्थी का पैन नम्बर.....है।

मेरे द्वारा श्री (यहाँ व्यक्ति/फर्म/संस्था आदि कनाम लिखा जाय).....की चल और अचल सम्पत्ति के बारे में तथ्यों की जानकारी कर ली गयी है और उसका विवरण उपरोक्तानुसार दिया गया है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी जानकारी में उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं और तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।
दिनांक.....

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर
(मुहर सहित)

नोट:-

1. जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा यह प्रमाण-पत्र अपने स्वयं के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा। उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
2. प्रमाण-पत्र देने के पूर्व वह आवश्यकतानुसार तहसीलदार//एस0डी0एम0/अपर जिलाधिकारी/बैंक अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी से जाँच कराकर रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
3. सम्बन्धित व्यक्ति से स्वघोषणा शपथ-पत्र भी ले सकते हैं।

4. यह प्रमाण-पत्र सामान्यतः दो वर्ष के लिये मान्य होगा। यदि इससे पूर्व कोई महत्वपूर्ण विक्रय आदि होता है या कमी आती है तो सम्बन्धित व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि इसकी सूचना वह जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को देगा और प्रमाण-पत्र संशोधन जारी किया जायेगा।
5. इन प्रमाण पत्रों की प्रविष्ट जिलाधिकारी कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में विधिवत अंकित की जायेगी और निर्गत प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित फोटो प्रति रजिस्टर में अवश्य रखी जायेगी।
6. इस प्रमाण-पत्र के निर्गत करने अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का होगा।
7. सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, हैसियत प्रमाण-पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चर्या किया जायेगा।

www.riccsl.co.in

एकल स्वामित्व/साझेदारी/प्राइवेट लि०/लिमिटेड/अन्य का विवरण

| क्रम संख्या | एकल स्वामित्व/साझेदार /निदेशक का नाम | आयु | शेयर (प्रतिशत में) | तकनीकी अनुभव वर्ष..... से वर्ष..... तक | क्या धारक पावर ऑफ एगर्नी होल्डर है |
|-------------|--------------------------------------|-----|--------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं.....पुत्र श्री निवासी
(स्थायी पता).....(अस्थाई पता).....
..... का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ:-

सम्बन्धित अधिकारी
द्वारा प्रमाणित
पासपोर्ट साइज का
नवीनतम फोटोग्राफ
चस्पा किया जाय

1. यह कि मेरे अधीन.....अदद ग्रेजुएट इंजीनियर.....अदद डिप्लोमा होल्डर कार्यरत है, जिनका विवरण संलग्न है (यदि लागू)।
2. यह कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में तकनीकी स्टाफ उपलब्ध है, जो कि मानचित्र पढ़ने में, कार्यों की प्लानिंग एवं संपादन में, निविदा निपुणता से भरने में, बिल बनाने में तथा कार्यों के संपादन एवं पर्यवेक्षण में सक्षम है (यदि लागू)।
3. यह कि यदि मेरी फर्म को विद्युत सम्बन्धित कार्यों का आवंटन किया जाता है तो मैं इसे विद्युत सुरक्षा निदेशक, उ०प्र० शासन द्वारा प्रदत्त 'क' श्रेणी के लाइसेन्स होल्डर द्वारा ही कराया जायेगा तथा कार्य संपादन के पूर्व लाइसेन्स होल्डर का पूरा विवरण तथा लाइसेन्स की छायाप्रति सम्बन्धित परियोजना अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

दिनांक

शपथी का पूरा हस्ताक्षर

पूरा नाम-

पता-

नोट:-

1. यह स्वघोषणा शपथ-पत्र रु० 10/- (दस रुपये) के Stamp Paper पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा।
2. असत्य शपथ-पत्र देना एवं संगीन और संज्ञेय अपराध है।
3. सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, शपथ पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा।